भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1570

सोमवार, 5 मार्च, 2018/14 फाल्गुन, 1939 (शक)

न्यूनतम पेंशन

1570. श्री गणेश सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनधारियों को 1000/- रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन सहित श्रम शक्ति की बेहतरी हेतु श्रम कल्याण उपाय आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सहित विभिन्न प्रकार के अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मध्य प्रदेश सहित राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और मजदूरी विभिन्नता के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन किया है/करने का विचार है और देशभर के लिए एक समान मजदूरी नीति बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी हां। सरकार ने दिनांक 19 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593 (अ.) द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशनधारियों को 01.09.2014 से 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन अधिसूचित की है।

(ग) से (ङ): जी हां। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मध्यप्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधो के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने तथा संशोधित करने हेतु समुचित सरकारें हैं।

राज्य सरकारों से यथा प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित न्यूनतम मजदूरी की दरों की रेंज को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

फिलहाल, 10.08.2017 को लोकसभा में पुर:स्थापित “मजदूरी विधेयक संहिता, 2017” में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उपबंध है, जो विभिन्न राज्यों अथवा भौगोलिक क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती है। समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें ‘राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी’ से कम नही होगीं।

*   ******

अनुबंध

न्यूनतम पेंशन के संबंध में श्री गणेश सिंह, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 5.3.2018 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1570 के भाग (ग) से (ङ) उत्तर में संदर्भित विवरण

दिनांक 1.11.2017 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में दैनिक न्यूनतम मजदूरी में श्रेणीवार परिवर्तन (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणियां							
		अकुशल		अर्ध-कुशल		कुशल		अतिकुशल	
		न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
	केंद्रीय क्षेत्र	308.00	536.00	315.00	593.00	342.00	653.00	373.00	653.00
1	आंध्र प्रदेश	69.27	-	-	-	-	-	-	895.83
2	अरुणाचल प्रदेश	150.00	170.00	160.00	180.00	170.00	190.00	-	-
3	असम	240.00	-	280.00	-	350.00	-	450.00	-
4	बिहार	181.00	197.00	188.00	206.00	232.00	251.00	282.00	308.00
5	छत्तीसगढ़	234.00	325.00	249.95	350.00	242.79	380.00	338.00	410.00
6	गोवा	307.00	465.00	321.00	465.00	386.00	465.00	418.00	465.00
7	गुजरात	178.00	276.00	276.00	284.00	284.00	293.00	-	-
8	हरियाणा	318.46	-	334.39	351.11	368.66	387.10	406.45	-
9	हिमाचल प्रदेश	184.87	210.00	199.12	227.00	228.37	254.17	242.40	314.50
10	जम्मू और कश्मीर	225.00	-	350.00	-	400.00	-	-	-
11	झारखंड	221.61	237.44	232.16	253.27	306.03	327.14	353.52	369.90
12	कर्नाटक	231.92	569.44	272.13	476.83	277.76	592.13	282.41	554.44
13	केरल	287	510	289.70	498.00	278.60	533	284.60	556.00
14	मध्य प्रदेश	200.00	274.00	266.00	360.00	312.00	408.00	355.00	410.00
15	महाराष्ट्र	180.00	315.49	-	-	-	-	-	-
16	मेघालय	189.00	-	201.00	-	212.00	-	235.00	-
17	मणिपुर	122.10	122.10	129.97	129.97	132.60	132.60	-	-
18	मिजोरम	270.00	-	300.00	-	370.00	-	460.00	-
19	नागालैंड	115.00	-	125.00	-	135.00	-	145.00	-
20	ओडिशा	200.00	-	220.00	-	240.00	-	260.00	-
21	पंजाब	275.08	305.83	323.62	-	358.12	-	397.82	-
22	राजस्थान	207.00	-	217.00	-	227.00	-	277.00	-
23	सिक्किम	220.00	-	242.00	-	275.00	-	319.00	-
24	तमिलनाडु	182.73	-	-	-	-	-	-	505.10
25	त्रिपुरा	179.96	359.00	197.42	389.00	220.76	419.00	325.00	630.84
26	उत्तराखंड	200.00	272.12	231.54	291.54	235.31	310.96	249.23	356.35
27	उत्तर प्रदेश	161.00	211.67	233.33	300.71	261.33	354.67	299.17	418.83
28	पश्चिम बंगाल	211.00	278.00	232.00	306.00	255.00	337.00	370.00	-
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	297.00	327.00	309.00	345.00	322.00	396.00	343.00	407.00
30	चंडीगढ़	350.00	-	356.00	359.00	367.00	376.00	391.00	-
31	दादरा एवं नागर हवेली	277.70	-	285.70	-	293.70	-	-	-
32	दमन और दीव	287.50	-	295.50	-	303.50	-	-	-
33	दिल्ली	522.00	-	575.00	-	633.00	-	-	-
34	लक्षद्वीप	267.20	-	292.20	-	317.20	-	342.20	-
35	पुडुचेरी	55.00	255.00	-	-	-	-	-	-
36	तेलंगाना	69.27	-	-	-	-	-	-	380.48

*असम तथा पश्चिम बंगाल के अकुशल कामगारों की दरों में चाय बगीचा कामगार शामिल नहीं हैं।

****